

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारा

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - १ / 2022 (Bank Case)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर, -302019 राज. एवं पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्सई- 600002, तमिलनाडू

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री महावीर मीणा पुत्र श्री हंसराज मीणा, (ऋणी- बंधककर्ता)
पता- मकान नं. 34, मुण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज.- 325215
4. श्रीमती सुनीता मीणा पत्नि महावीर, (सह-ऋणी)
पता:- मकान नं. 34, मुण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज.- 325215
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री हितेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: १/१२/२२

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर, -302019 राज. एवं पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्सई- 600002, तमिलनाडू जिरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 27.09.2018 को 4,00,000/- रुपये (अक्षरे चार लाख रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में रिहायसी अचल सम्पत्ति श्री महावीर मीणा पुत्र श्री हंसराज मीणा, की सम्पत्ति खसरा नं. 229, मकान नं. 34, ग्राम सोकन्दा, ग्राम पंचायत महुआ, पंचायत समिति अन्ता, तह0 मांगरोल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1092 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में ब्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 4,18,733/- (अक्षरे चार लाख अठारह हजार सात सौ तैतीस रुपये) राशि दिनांक 04.12.2019 तक शेष देय है व दिनांक 05.12.2019 से आगे का ब्याज मय खर्च आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने बैंक के अधिकृत हस्तरक्षाकर्ता के दिनांक 10.12.2019 को माँग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया

जिला मजिस्ट्रेट
बारा

गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने बैंक के अधिकृत हस्तरक्षाकर्ता के दिनांक 10.12.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार कमशः हिन्दी में "बिजनेस स्टैंडर्ड" में दिनांक 03.06.2020 व अंग्रेजी में "बिजनेस स्टैंडर्ड" में दिनांक 03.06.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने बैंक के अधिकृत हस्तरक्षाकर्ता के दिनांक 10.12.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री महावीर मीणा पुत्र श्री हंसराज मीणा, की सम्पत्ति खसरा नं. 229, मकान नं. 34, ग्राम सोकन्दा, ग्राम पंचायत महुआ, पंचायत समिति अन्ता, तह0 मांगरोल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1092 वर्गफीट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 9/5/22 को सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां